

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय:-1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 28.05.2020

भवदीय

/  
(विनय प्रकाश सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्रीमान नौडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट

मेरठ।

प्रेष्य,

✓ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ।

संख्या- १४५ / ईसटी-नगर/ कोवड-19.

दिनांक- 28 मई, 2020

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन/ कन्टेनमेन्ट जान के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-924/2020/सीएक्स-3, दिनांक 18.05.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश नं -1465 /ओ०एस०डी०-कैन्य/2020, दिनांक 21.05.2020 (प्रति संलग्न) के साथ मेरठ जनपद के कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समरत नगर निगम एवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या-06, 10, 28 एवं 31 को छोड़कर) को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

आदेश

मुख्य मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक १७-५-२०२० के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या ९२४/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक १८-५-२०२० द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक १८-५-२०२० से दिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी विशिष्ट चुलिस अधीक्षक की स्तर पर विभिन्न और ग्राम संगठनों के प्रतिविधियों, व्यापार सम्बन्ध के प्रदायिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक ३१-५-२०२० तक निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

- १- जनपद मेरठ के कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर समस्त शेत्रों में रेस्टोरेन्ट/मिठाई की दुकान से होने विलीयती अनुमत्य होगी।
- २- साथ ७.०० बजे से सुबह ७.०० बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- ३- ६५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य बौमारियों से यसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और १० वर्ष की आयु से नीचे दब्लू का (स्वास्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- ४- नगर पालिकाओं/नगर परवायों सहित ग्रामीण शेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संधालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नाल-कन्टेनमेन्ट शेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीया अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेगी।
- ५- नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों (ऐकेजिंग निर्माता इकाइयों सहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन चरणबद्ध तरीके से निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिक। नाल-कन्टेनमेन्ट शेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीया अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेगी।
- ६- बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें २० लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- ७- अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भौति जागृति विहार सेक्टर-३ में यथावत रहेगी।
- ८- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राईक्लीनर की दकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- ९- रातेजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क, बद्दर के बाहर नहीं निकलेंगे।
- १०- समस्त सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य सामुहिक गतिविधियों पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।

समस्त धर्मीक रथल/पंजा रथल/धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निपिद्ध रहेगे।

- 17- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित घरेलूओं के द्वारा विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य संघिद, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 323 / 2020-सीएक्स-3 दिनांक 28-4-2020 के क्रम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ईट-भट्टा संचालन संस्थान/ईट विक्टी परिवहन ने अनुमति दी गयी है। अतः इस क्रम में ईट भट्टा संचालकों को उनके कार्य-स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।

18- लहसील मुख्यालय स्तर पर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत नेत्रों ने निर्णय लेने डेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जाता है।

- 19- मुख्य संघिद, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924 / 2020 / सीएक्स-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची संलग्न है।

20- बादि घिसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से विक्षय जाता है।

21- एवं आई0पी0सी0 की धारा-198 एवं अन्य सुरक्षात् धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

लुक्स आदेश तत्काल प्रभास्ती होगा।

संलग्न-उपरोक्त अनुसार।

(अजय शर्मा)

विश्व पुलिस अधीकार, नेरठ।

21/5/2020  
(अनिल ढोगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, नेरठ।

पत्राक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिसिफि-

- 1- प्रमुख संघिद, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी, जनपद नेरठ।  
2- आयुका, नेरठ मण्डल, नेरठ।  
3- अपर पुलिस महानिवेशक, नेरठ।  
4- पुलिस महानिरीक्षक, नेरठ।  
5- मुख्य विवाह अधिकारी, नेरठ।  
6- नगर आयुका, नगर निगम, नेरठ।  
7- समस्त उपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद नेरठ।  
8- पुलिस अधीकार-नगर/पानीपत लेट्र, नेरठ।  
9- नगर निवासी, नगर निवासी, नेरठ।  
10- मुख्य विकेतान अधिकारी, नेरठ।  
11- उपायुक्त, उद्योग, नेरठ।  
12- उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी, नेरठ।  
13- समस्त लाल/लाल्यव्यक्ति, जनपद नेरठ को अनुपालनार्थ देखित।  
14- प्रभारी लन्द्रोल रूम, जलप्रदेश, एन0आइ0सी0, नेरठ।  
15- जिला सचिव अधिकारी, नेरठ।

(अजय शर्मा)

विश्व पुलिस अधीकार, नेरठ।

21/5/2020  
(अनिल ढोगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, नेरठ।

## कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

| क्र०स० | कन्टेनमेन्ट क्षेत्र  |
|--------|--|
| 1      | समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोड़कर) |
| 2      | कस्ता सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)   |
| 3      | ग्राम नारंगपुर, ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)  |
| 4      | ग्राम पूला, (थाना टी०पी०नगर)   |
| 5      | ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मसिजद के पास, बड़ीत रोड मेरठ(थाना रोहटा)          |
| 6      | मौहल्ला कस्ताधान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)  |
| 7      | ग्राम जलालपुर, हरितनामुर, मेरठ(थाना हरितनामुर)                                     |
| 8      | नगर पश्चायत बहसूमा जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)   |
| 9      | ग्राम पनवांडी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)                                |
| 10     | ग्राम अतराढ़ा, खरखीदा(खरखौदा )   |